न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर ( आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 102/03 दायर दिनांक:–16/01/2004

~~संशोधित~~ निर्णय दिनांक:–25/08/2015

संशोधित निर्णय दिनांक 11/01/2016

1:– श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि डूंगरपुर अध्यक्ष श्री महिपालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह महाराज उम्र वयस्क निवासी डूंगरपुर राजस्थान।

2:– श्री मोहनलाल पिता जयशकंर शर्मा सेकेट्री लक्ष्मण देवस्थान निधि डूंगरपुर राजस्थान।

–वादीगण–

## बनाम

1. श्री फकीरा पिता सुवा भोई नि. गलियाकोट के कायम मुकाम!

1:–श्रीमती शान्ता पत्नी फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2:–संतोष पिता फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

3:–प्रकाश पिता फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

4:–श्रीमती कल्पना भोई पत्नी गणेशलाल पुत्री फकीरा निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

5:–श्रीमती माया पत्नी रामलाल पुत्री फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर ।

6:–श्रीमती आशा पत्नी डायालाल पुत्री फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

7:–श्रीमती वीणा पत्नी भरतलाल पुत्री फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

8:–सुश्री अनिता पुत्री फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।

9:–सुश्री सुनीता पुत्री फकीरा भोई निवासी गलियाकोट तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।

10:–भूमिधारी तहसीलदार साहब सागवाडा।

–प्रतिवादीगण–

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183, 92 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट ।**

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लक्ष्मण देवस्थान निधि एक्ट के अन्तर्गत गठित एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष वादी सं 1 एवं सेकेट्री वादी सं 02 है लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्ट के अन्तर्गत आनेवाली सभी मदिंरों एवं देवस्थानों की चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था मैनेजमेन्ट ट्रस्ट द्वारा की जाती है शीतलामाताजी मंदिर गलियाकोट के खातेदारी की समस्त आराजीयात की देखरेख व्यवस्था एवं मैन्टेनेन्स लंक्ष्मण देवस्थान निधि डूंगरपुर द्वारा की जाती है शीतलामाता जी मंदिर के निम्न आराजीयात शीतलामाता मंदिर गलियाकोट के खाते दर्ज है।

| कमांक | खसंरा नं | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| 1 | 2270 | 0.3 | चाही I |
| 2 | 2273 | 0.3 | चाही I |
| 3 | 2281 | .11 | चाही I |
| 4 | 2261 | 0.3 | आ.चा. |

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

उक्त आराजीयात श्री शीतलामाता मंदिर खातेदार कृषक दर्ज है मंदिर खाते की भूमि अन्य के खाते दर्ज नहीं हो सकती है मंदिर शाश्वत नाबालिंग है इसलिये माईनर के हितों की रक्षा हेतु यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी नं 1 ने मंदिर शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट के खाते की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर मदिंर के खाते की भूमि पर झोपडा बना दिया है और उक्त भूमि से सब्जियॉ एवं अनाज उगा कर बेचता है मंदिर की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर उक्त भूमि से लाभ प्राप्त कर रहा है। प्रतिवादी सं 1 अतिक्रमी होने से उसका कब्जा मंदिर शीतलामाता के खाते की भूमि पर से हटाया जाना आवश्यक हो गया है शीतलामाता मंदिर जो शाश्वत नाबालिंग है के हितों की रक्षा हेतु प्रतिवादी को उक्त भूमि से हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कोई हक या हिस्सा नहीं है प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर मंदिर की उक्त वर्णित भूमि पर एक मकान निर्माण भी कर लिया है। जिसे हटाया जाना आवश्यक है प्रतिवादी सं 1 अतिक्रमी होने से उसके विरूद्ध निषेद्याज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वह वादग्रस्त भूमि पर से अपना अनाधिकृत अतिक्रमण हटा लेंवे एवं अपना मकान जो मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर बना लिया है उसे हटाया जावें। यदि प्रतिवादी सं 1 अतिक्रमी को शीतलामाता मंदिर की खाते की भूमि से नहीं हटाया गया तो ऐसी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी । प्रतिवादी सं 1 को वादगस्त आराजी पर अपना अनाधिकृत अतिक्रमण एवं मकान हटा लेने कई बार मौखिक आग्रह किया गया एवं रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया किन्तु नोटिस मिलने के बावजूद भी प्रतिवादी सं 1 ने अपना अनाधिकृत अतिक्रमण नहीं हटाया है जिससे बिनाफ मुखास्मद वाद नोटिस मिलने की तारिख 19.09.2003 से पैदा हुई । अतः दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिग्री निम्न प्रकार पारित करना फरमावें।

1:— वादग्रस्त आराजी सं 2270, 2273, 2281, 2261, कुल रकबा 01 बीघा पर से प्रतिवादी सं 1 द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है एवं मकान बना लिया है उसे हटाया जावें।

2:— प्रतिवादी सं 1 के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण हटा लेवें एवं भविष्य में वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें।

3:— दौराने दावा एवं जब तक प्रतिवादी सं 1 वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को सुपुर्द्ध नही करे तब तक रूपया 5000/— प्रतिवर्ष हर्जाना के अदा करें।

उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस दिया गया । प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बतलाया कि लक्ष्मण देवस्थान सभी मंदिरों एवं देवस्थानों की सम्पत्ति चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था , देखरेख एवं मैन्टेनेन्स ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी के द्वारा किया गया है जो कि चलने योग्य नही होकर काबिल निरस्ती के है दावा लक्ष्मण देवस्थान निधि जरिये होना चाहिए था जो नही किया है शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट की समस्त आराजीयात की देखरेख व्यवस्था एवं मैन्टेनेन्स लक्ष्मण देवस्थान निधि डूंगरपुर द्वारा नही की जाकर प्रतिवादी द्वारा की जा रही है। मंदिर शाश्वत नाबालिंग है एवं मंदिर के हितों की रक्षा प्रतिवादी नं 1 के द्वारा कुशलता पूर्वक लम्बे समय से बिना किसी रोक टोक के की जा रही है वादी ने बिना किसी आधार के दावा पेश किया है। प्रतिवादी सं 1 शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट के खाते की भूमि पर विधि अनुसार काबिज है प्रतिवादी समय समय पर वराप एवं लगान भी अपने पूर्वजों के समय से ही भरता चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं 1 का कब्जा होना स्वीकार किया है परन्तु उक्त कब्जा कब से है किस समय से है उसका कही भी अकंन एवं सही चित्रण नहीं किया है वादी ने दावे में सही तथ्यों का लोप किया है जिस वजह से दावा चलते योग्य नही होकर काबिल निरस्ती के है। वादी स्वंय डूंगरपुर के निवास होना अंकित करते है। परन्तु मंदिर गलियाकोट में स्थित है गलियाकोट से डूंगरपुर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है वादी प्रस्तुत मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिंग की श्रेणी में आता है उसके हितो की रक्षा इतनी लम्बी दुरी से किस प्रकार कर सकेगे उसका चित्रण नही किया गया है जिस वजह से दावा चलने योग्य नही होकर काबिल निरस्ती के है वादी ने प्रतिवादी का एक मकान होना उक्त जमीन पर अंकित किया है परन्तु वह कब से है किस समय से है उसका अंकन नही किया है।

प्रतिवादी ने अपने जवाब में विशेष विवरण में लिखा है कि प्रतिवादी सं 1 एवं उसके भाई व काका व चचेरे भाई सभी मिलकर उक्त आराजी की देखरेख लम्बे समय से बिना किसी रोक टोक से करते चले आ रहे है। एवं उक्त जमीन से पैदा हुई उपज से मंदिर की व्यवस्था

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

करते चले आ रहे है पूर्व में भी इसी आशय का एक मुकदमा प्रतिवादी के चचेरे भाई फकीरा पिता सुखा पर व्यवस्थापक शीतलामाता जी के मारफत गलत एवं आधारहीन कार्यालय तहसीलदार साहब सागवाडा को पेश करना जिसकी मिसल नं 982/94 दायर दिनांक 11/03/94 फेसल दिनांक 26/04/94 होना बतला उसमें नही की गई एवं नही कोई रीवीजन दाखिल किया गया। इस वजह से उक्त फेसल अन्तिम होने से पुनः प्रस्तुत मामला प्रतिवादी नं1के खिलाफ कानुनी रूप से नहीं चलना एवं दावा पूर्व न्याय (RES JUDICATA) के सिद्धान्त के अनुसार काबिल निरस्ती के होना बतलाया । प्रतिवादी द्वारा भू प्रबन्ध विभाग विभाग से जारी नकल के अनुसार संवत् 2022 से एवं इसके पूर्व से भी लगातार बेरोकटोक कब्जा होना एवं इस बाबत खाते में पूर्वजों का नाम अंकित चला आ रहा है वाद कारण कब पैदा होता है किस तारीख से पैदा होता है उसका कही पर भी अंकन नहीं है अतः दावा काबिल निरस्ती के होना बतलाया।

उपरोक्तानुसार वाद एवं जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई ।

1:— आया विवादित भूमि मंदिर की शीतलामाता जी गलियाकोट के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी नं 1 के कब्जे काश्त में खसंरा नं 2270, 2273, 2281, 2261, कुल आराजी 4 की भूमि है।

—वादी—

2:— आया विवादित भूमि मंदिर की में प्रतिवादी नं संस्था की बिना अनुमति के प्रवेश कर काश्त करने के हकदार है।

—प्रतिवादी—

3:— दादरसी।

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम कर शहादत ली गई वादी की ओर से गवाह श्री मोहनलाल पिता जयशकंर शर्मा निवासी डूंगरपुर सेकेट्री लक्ष्मण देवस्थान निधि एक्ट के अन्तर्गत गठित एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष वादी सं 1 सेकेट्री वादी सं 2 है लक्ष्मण देवस्थान निधि के अन्तर्गत आने वाले सभी मंदिरों एवं देवस्थानों की सम्पत्ति चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था देखरेख एवं मैन्टेनेन्स ट्रस्ट द्वारा की जाती है शीतलामाता जी मंदिर खातेदार कृषक दर्ज है मंदिर के स्वामित्व की भूमि किसी अन्य के खाते दर्ज नही हो सकती है मंदिर शाश्वत नाबालिंग है इसलिये माइनर के हितों की रक्षा हेतु यह दावा पेश किया गया है प्रतिवादी सं 1 ने मंदिर शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट के खाते की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर मंदिर के खाते की भूमि पर झोपडा बना दिया है और उक्त भूमि पर सब्जीयाँ एवं अनाज उगा कर बेचता है मंदिर की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर उक्त भूमि से लाभ प्राप्त कर रहा है प्रतिवादी सं 1 अतिक्रमी होने से उसका कब्जा मंदिर शीतलामाता मंदिर के खाते की भूमि पर से हटाया जाना आवश्यक है प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कोई हक व हिस्सा नहीं है प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण कर मंदिर की उक्त वर्णित भूमि पर एक मकान का निर्माण कर लिया है जिसे हटाया जाना आवश्यक है प्रतिवादी सं 1 अतिक्रमी होने से उसके विरूद्ध निषेद्याज्ञा जारी की जावें। प्रतिवादी सं 1 को वादग्रस्त आराजी पर अपना अनाधिकृत अतिक्रमण एवं मकान हटा लेने कई बार मौखिक आग्रह किया गया एवं रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया गया किन्तु नोटिस मिलने के बावजूद भी प्रतिवादी सं 1 ने अपना अनाधिकृत अतिक्रमण नही हटाया है प्रतिवादी सं 1 का वादग्रस्त आराजी सं 2270, 2273, 2281, 2261, मौजा गलियाकोट से मकान व अतिक्रमण हटाया जाय। प्रतिवादी सं 1 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाय कि वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण हटा ले एवं भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें।

ज़ीरह में उक्त जमीन पर फकीरा पिता सुखा भोई पिछले बीस वर्ष से काबिज होना एवं खसंरा नम्बर याद नहीं होना बतलाया । पिछले तीन वर्ष से सेकेट्री होना एवं निधि के अध्यक्ष द्वारा बनाना निधि के कार्यकारीणी में नव सदस्य होना बतलाया। फकीरा के कब्जे की भूमि पर फकीरा द्वारा खेती करना एवं लगान किसी द्वारा भरना बतलाया। रसीदे नही लाना एवं अध्यक्ष महोदय एवं स्वंय डूंगरपुर रहना तथा भूमि गलियाकोट में होना डूंगरपुर 70 किमी दुर होना बतलाया । तहसील कार्यालय में कार्यवाही चलना एंव किसी के पक्ष में होना बतलाया , फकीरा भाई मंदिर के पास रहना एवं यह बात गलत होना बतलाया । फसल का चढावा फकीराभाई

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

मंदिर में भेट करते है खाते में शीतलामाता का खाता का है शीतलामाता नाबालिंग की श्रेणी में आना बतलाया। EX-4 प्रतिवादी की ओर से गवाह श्री फकीरा पिता सुखा भोई निवासी गलियाकोट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान किये कि लक्ष्मण देवस्थान सभी मंदिरों एंव देवस्थानों एवं मैन्टेनेन्स ट्रस्ट के द्वारा की जाती है उसकी जानकारी प्रतिवादी को नही है प्रस्तुत दावा ट्रस्ट द्वारा नही किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सेकेट्री द्वारा किया गया जो चलने योग्य नही होकर काबिल निरस्ती के है। शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट के खाते की समस्त आराजीयात की देखरेख व्यवस्था एवं मैन्टेनेन्स लक्ष्मण देवस्थान निधि डूंगरपुर द्वारा नही की जाकर प्रतिवादी के द्वारा की जा रही है। आराजीयात शीतला माताजी मंदिर खातेदार कृषक दर्ज है। मंदिर शाश्वत नाबालिंग है। मंदिर के हितों की रक्षा प्रतिवादीयॉ नं 1 के द्वारा कुशलता पूर्वक लम्बे समय से बिना किसी रोकटोक के की जा रही है। वादी ने बिना किसी आधार के दावा प्रस्तुत किया है समय–समय पर लगान अपने पूर्वजों के समय से ही भरता चला आ रहा हुॅ। वादी ने मेंरा कब्जा होना स्वीकार किया है। परन्तु कब्जा कब से है किस समय से है उसका कही अंकन सही चित्रण नहीं किया है, वादी ने अपने दावे में सही तथ्यों का लोप किया हे जिस वजह से दावा चलने योग्य नही होकर काबिल निरस्त है । वादी स्वंय डूंगरपुर के निवासी होना अंकित करते है प्रस्तुत मंदिर गलियाकोट में स्थित है गलियाकोट से डूंगरपुर की दुरी लगभग 70 किमी है मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिंग की श्रेणी में आता है उसके हितों की रक्षा इतनी लम्बी दुरी से किस प्रकार कर सकेगे उसका चित्रण नहीं किया गया है जिस वजह से दावा चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्ती के है मेरें भाई व काका व चचेरे भाई सभी मिलकर उक्त आराजी की देखरेख लम्बे समय से बिना किसी रोकटोक से करते चले आ रहे है। एवं उक्त जमीन से पैदा हुई उपज से मंदिर से मंदिर की व्यवस्था करते चले आ रहे है। भू प्रबन्ध सेटलमेंन्ट विभाग से जारी नकल के अनुसार संवत् 2022 से एवं इसके पूर्व से भी लगातार बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है। इस बाबत खाते में प्रतिवादीयॉ एवं उसके पूर्वजों का नाम अंकित चला आ रहा है। वादी ने अपने वाद से कही पर भी मेंरे द्वारा कब से एवं किस दिनांक से कब्जा है उसका अंकन नहीं किया है। जिस कारण से वाद कारण ही कब पैदा होता है। एवं किस तारीख से पैदा होता है उसका कही पर भी स्पष्ट्र चित्रण नहीं है जिस वजह से दावा चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्ती के है।

जीरह में बतलाया कि जमीन शीतलामाता मंदिर की है । यह मुझे पता नहीं कि शीतलामाता मंदिर लक्ष्मण देवस्थान निधि के अन्दर है जो जमीन कमा रहे है उसका खसंरा नम्बर मुझे पता नहीं है जमीन के पूर्व में शीतलामाता मंदिर है और पश्चिमी में आदिवासी का मंदिर है उत्तर में सागवाडा रोड और दक्षिण में तालाब है मंदिर पर पुजारी की नियुक्ति महारावल साहब द्वारा की जाती है और उनके द्वारा पुजारी रखा गया है दावे का पहले कागज आया होगा लेकिन इसकी मुझे जानकारी नहीं है जिस जमीन पर में काबिज हुॅ उस जमीन का खाता शीतलामाता मंदिर के नाम है मेंरे कब्जे की जमीन पर पानी रहता है उसका कोई उपयोग नही होता है यह जमीन रींगवाल के अन्दर है

उपरोक्तानुसार शहादत प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई, वकीलवादी मे अपनी बहस से बतलाया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम गलियाकोट में स्थित होकर खाता न. 575 खेत किता 4 है जो लक्ष्मण देवस्थान निधि ट्रस्ट के अर्न्तगत आता है । लक्ष्मण देवस्थान निधि के अध्यक्ष श्री महारावल साहब महिपाल सिंहजी है मंदिर शीतलामाताजी मंदिर शाश्वत नाबालिंग है उसके हितो की रक्षा के लिये लक्ष्मण देवस्थान निधि है उसके हितो की रक्षा के लिये लक्ष्मण देवस्थान निधि है जिसके द्वारा (Minor) के हितो के लिये दावा प्रस्तुत किया है। मंदिर के खाते की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया है मंदिर के खाते की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर मकाना बना लिया है जो की अतिक्रमण की तारीख में आता है मंदिर के खाते की भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नही हो सकती है अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है एवं मकान बना लिया है हटाया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण नही करे एवं वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को सुपूर्द नही करे तब तक प्रतिवर्ष 5000/ पांच हजार रुपया हर्जाना वादी को दिलवाया जावे ।

वकील प्रतिवादी ने बहस मे बतलाया कि लक्ष्मण देवस्थान सभी मंदिरो एवं देवालयो की सम्पति की देखरेख एवं मेन्टेनेन्स ट्रस्ट द्वारा की जाती है, इसकी जानकारी प्रतिवादी को नही

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

है दावा ट्रस्ट द्वारा नही किया जाकर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सेकेट्री द्वारा किया गया है जो काबिल निरस्ति के है मंदिर के हितो की रक्षा प्रतिवादी क.1 द्वारा लम्बे समय से बिना किसी रोकटोक के की जा रही है वादी ने बिना किसी आधार के वाद पेश किया है ,प्रतिवदी संख्या 1 शीतलामाता मंदिर गलियाकोटके खाते की भूमि पर विधि अनुसार काबिज है प्रतिवादी द्वारा ही समय–समय पर वराद लगान भी अपने पूर्वजो के समय से जमा करवाया जा रहा है उसकी रसीदे प्रस्तुत की गई है प्रतिवादी न.1 का कब्जा होना वादी के अपने दावे मे स्वीकार किया है वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेन्ट विभाग से जारी नकल के अनुसार संवत् 2022 से एवं इसके पूर्व से लगातार बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है इस धारण खाते मे प्रतिवादीयो एवं उसके पूर्वजो का नाम अंकित चला आ रहा है दावा इस द्वारा नही किया जाकर व्यक्तिगत हैसियत से किया है अतः दावा चलने या नही होकर काबिल निरस्ति के है अतः वाद वादी निरस्त फरमाया जकार प्रतिवादी न.1 को विशेष हर्जाना वादी से दिलवाया जाने आदेश फरमाया जावे ।

उपरोक्तानुसार शहादत प्रस्तुत होने एवं वकील पक्षकारन की बहस समापत समापत कर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

**तनकी संख्या.1**

1– आप विवादित भूमि मंदिर श्री शीतला माताजी गलियाकोट के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी नं1 के कब्जे काश्त मे खसरा नम्बर 2270, 2273, 2281, 2261, कुल आराजी 4 की भूमिहै

–वादी–

प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं बयान गवाहान से विवादित भूमि मंदिर श्री शीतलामाताजी गलियाकोट के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त मे खसरा नम्बर 2270, 2273, 2281, 2261, कुल आराजी 4 की भूमि है अतः उक्त तनकी बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 2** :– आया विवादित भूमि मंदिर की में प्रतिवादी न.1 संस्था की बिना अनुमति के प्रवेश कर काश्त करने के हकदार है।

–प्रतिवादी–

वादी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत शहादत एवं वकील पक्षकारान की बहस से वादग्रस्त मंदिर की भूमि पर प्रतिवादी नं 1 द्वारा काश्त की जा रही है एवं मकान बना लिया है प्रस्तुत गवाहों के बयानों से मंदिर के खाते की भूमि पर प्रवेश कर काश्त करने किसी की अनुमति नहीं ली गई, प्रतिवादी अतिक्रमी की तारीख में आता है , शीतलामाता जी मंदिर गलियाकोट शाश्वत नाबालिंग है। अतः बिना अनुमति प्रवेश कर काश्त करने का प्रतिवादी को कोई अधिकारी नहीं है। उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

**दादरजीः**– वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी से अपना अतिक्रमण हटा ले एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, अतिक्रमण हटाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner